

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गोपाल मेघवाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 163/2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-06-2022</p>	<p>अपीलार्थी गोपाल मेघवाल पुत्र लखाराम मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, बाप रोड़, खींचन तहसील फलोदी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.03.2022 में (1) पाकिस्तान से भारत आये नागरिक जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई है वे अपना आधार कार्ड जहां अस्थाई रह रहे हैं वहां बना सकते हैं व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 758 दिनांक 09.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी गोपाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लॉनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर यूआईडीएआई, आधार केन्द्र, जोधपुर से संबंधित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी यूआईडीएआई आधार केन्द्र, जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 254 दिनांक 10.03.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था तथा प्रार्थी को भी पत्र की प्रति पृष्ठांकित की गई।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने पर अन्य विभाग जिसमें संबंधित है, को विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई तो उसके सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब चाही जा रही सूचना कलक्टर कार्यालय से संबंधित नहीं से उसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p>	